



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

अवैध शराब कारोबार में लिप्त 03 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

दिनांक:-21.5.21

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी.सिंह द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में थाना सकरन पुलिस द्वारा अवैध शराब निर्माण एवम् विक्रय/परिवहन के अपराध में लिप्त 03 अभियुक्तगण 1.कमलेश पुत्र श्यामलाल 2.मिश्रीलाल पुत्र श्यामलाल 3.शांति देवी पत्नी श्याम लाल नि0गण लालबहादुरपुरवा थाना सकरन जनपद सीतापुर के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तगण शांति शराब तस्कर हैं, जिनके विरुद्ध इस संबंध में अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर थाना तंबौर पर मु0अ0सं0 192/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। विवरण निम्न है-

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 192/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना सकरन सीतापुर

अभियुक्तगण का नाम/पता-

1. कमलेश पुत्र श्यामलाल नि0 लालबहादुरपुरवा थाना सकरन सीतापुर
2. मिश्रीलाल पुत्र श्यामलाल नि0 लालबहादुरपुरवा थाना सकरन सीतापुर
3. शांति देवी पत्नी मिश्रीलाल नि0 लालबहादुरपुरवा थाना सकरन सीतापुर

आपराधिक इतिहास का विवरण

अभियुक्त श्यामलाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 224/15 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सकरन सीतापुर
2. मु0अ0सं0 37/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सकरन सीतापुर
3. मु0अ0सं0 113/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना सकरन सीतापुर
4. मु0अ0सं0 192/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना सकरन सीतापुर

अभियुक्त मिश्रीलाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 223/15 धारा धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सकरन सीतापुर
2. मु0अ0सं0 113/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना सकरन सीतापुर
3. मु0अ0सं0 192/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना सकरन सीतापुर

अभियुक्त शांति देवी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 113/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना सकरन सीतापुर
2. मु0अ0सं0 192/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना सकरन सीतापुर